



3

85

न्यायालय : राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्र.

निगरानी

R-881-I/2011

ब्रह्मानंद तिवारी पुत्र
श्री सुखलाल तिवारी
आयु- 60 वर्ष,
निवासी-ग्राम-मेहलुआ चौराहा,
तहसील-कुरवाई, जिला-विदिशा
(म0 प्र0)

- आवेदक

विरुद्ध

1. म0 प्र0 शासन द्वारा-कलेक्टर,
जिला-विदिशा
2. मृतक:
नारायण सिंह पुत्र श्री मेहताब
सिंह, निवासी-ग्राम-बोधी,
तहसील-कुरवाई, जिला-विदिशा
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री बाबुलाल,
निवासी-मेहलुआ
तहसील-कुरवाई, जिला-विदिशा
(म0 प्र0)

- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 के विरुद्ध
आदेश दिनांक 08-04-2011 द्वारा पारित अपर आयुक्त भोपाल
संभाग प्रकरण क्रमांक 221-आर/04-05

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नलिखित है:-

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ने भूमि सर्वे क्रमांक 13 रकबा 0.449 हेक्टर, 14/1 रकबा 1.463 हेक्टर भूमि सर्वे क्रमांक 12 रकबा 1.202 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 14/2

५



4-7-16

D/R

कावेडकं की कोर ले सुचना
 उपरान्त कोरी उपर नली। काना क 4 शासन
 की कोर ले बंकर उरि की की-एन-आजी उरु।
 काना क उ की कोर ले की के के। विवे से उरु
 समय समय पा दिन का पुका-जाना क र
 फलु कोरी उपर नली। पुत्रा कावेडक की काना क
 के वाटा कडक नीकी के काना क विवे काना क
 पुत्रा कावेडक रिकार की।

8

[क. ए. उ.]